न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

**अपील सख्याः–169/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00276)**

1. ग्यारसा पुत्र कालू (फौत दिनांक 22.04.2006)
   1/1. मूलचन्द पुत्र स्व. ग्यारसा, जाति मीना, निवासी नगरियावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
   1/2. सीताराम पुत्र स्व. ग्यारसा, जाति मीना निवासी नगरियावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जरिये आयुक्त,
2. तहसीलदार तहसील जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जोन–सी–2, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. कैलाश चन्द पुत्र स्व. ग्यारसा, जाति मीना, निवासी नगरियावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. कल्ली देवी पत्नी स्व. ग्यारसा, जाति मीना, निवासी नगरियावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. भारत भवन गृह निमार्ण सहकारी समिति लिमिटेड, जरिये सचिव महेन्द्र कुमार परीक कार्यालय 34, वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड़, जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 13.11.2019

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी बाबत न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के आदेश दिनांक 08.04.2002 (प्रकरण संख्या 75/2000) उनवान ग्यारसा बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण को रिकॉल किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा पुत्र कालू की खातेदारी की अराजी वाके ग्राम नगरियावाला तहसील सांगनेर जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 1 रकबा 0.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3 रकबा 0.58 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.06 हैक्टयर स्थित है, उक्त भूमि बाबत तथाकथित विक्रय इकरारनामा बिना कब्जे व बिना प्रतिफल भुगतान के भारत भवन गृह निमार्ण सहकारी समिति को किया जाना बताते हुए उक्त भूमि भारत गृह निमार्ण सहकरी समिति द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ काम मे लिये जाने का कथन करते हुए तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से मिलीभगत करते हुए एक प्रार्थना प्राधिकृत अधिकारी जोन–सी–2 जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पेश करवाकर उक्त खातेदार ग्यारसा पुत्र कालू व लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा में 90बी के आदेश दिनांक 07.08.2000 को पारित करवा लिये। उन्होने आगे कथन किया है कि प्राधिकृत अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 07.08.2000 की जानकारी होने पर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा व वर्तमान अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द ने एक अपील संख्या 189/2000 उनवनी ग्यारसा बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण पेश की जो दिनांक 08.04.2002 को बाहमी राजीनामा होने के कथन के आधार पर अपील नही चलाये जाने के कारण खारिज की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया है कि प्रार्थीगण ने भी प्राधिकृत अधिकारी के आदेश दिनांक 07.08.2000 के विरूद्ध एक अन्य अपील संख्या 25/2006 उनवानी मूलचन्द्र बनाम भारत भवन गृह निमार्ण सहकारी समिति न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई जो आदेश दिनांक 26.12.2008 को खारिज की गई उक्त अपील में खारिज आदेश के विरूद्ध एक पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या 20/2009 प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया उक्त पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 28.03.2012 को स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 26.12.2008 एवं प्राधिकृत अधिकारी को आदेश दिनांक 07.08.2000 को निरस्त किया गया तथा श्रीमान् के उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र के आदेश दिनांक 28.03.2012 के विरूद्ध एक रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान को की गई जो निर्णय दिनांक 15.11.2016 निगरानी याचिका खारिज की गई एवं उक्त राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष एस0बी0 सिविल रिट पीटीशन संख्या 18102/2016 पेश की गई जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2018 को निर्णय पारित कर प्रार्थीगण को न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 189/2000 निर्णय दिनांक 08.04.2002 उनवानी ग्यारसा बनाम सरकार को रिवाईव करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने की लिबर्टी दी गई है जिस के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया है जो प्रकरण के समस्त तथ्यों के मद्दनजर स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया है कि दिनांक 08.04.2002 को प्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ही भी बाहमी राजीनामा की प्रति प्रस्तुत नही की गई और ना ही बाहमी राजीनामा किस आशय का किन शर्तों पर एवं किन–किन पक्षकारान के मध्य निष्पादित हुआ उसमें कही भी अंकन नही है जो अपील विड्रो प्रर्थना पत्र के निस्तारण हेतु आज्ञापक दस्तावेज है, इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर पारित आदेश दिनांक 08.04.2002 रिकॉल किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 08.04.2002 की आदेशिका में कही भी प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा पुत्र कालू की पहचान नही है, विड्रा प्रर्थना पत्र मे यह कानूनन आवश्यक है कि उक्त अपील नही चलाये जाने का प्रार्थना पत्र के पक्षकार को उसके अधिवक्ता द्वारा पहचान किया जाना आवश्यक है, उक्त अपील में ग्यारसीलाल की पहचान किस भी अधिवक्ता द्वारा नही की गई इसलिये भी न्यायालय श्रीमान् का आदेश दिनांक 08.04.2002 रिकॉल किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया है कि प्रार्थीगण व उनके कि पिता अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा कानूनन धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के खातेदार द्वारा सोसायटी के पक्ष में विक्रय हेतु किये गये करार प्रारम्भ से ही शून्य है इसिलये भी उक्त शून्य इकरारनामा के आधार पर पारित 90बी के आदेश दिनांक 07.08.2000 प्राधिकृत अधिकारी जोन सी–2 प्रारम्भ से ही शून्य था, उक्त प्रारम्भ से शून्य इकरारनामा एवं आदेश दिनांक 07.08.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को तथाकथित बहामी राजीनामा के आधार पर नही चलाये जाने का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित अदेश दिनांक 08.04.2002 रिकॉल किया जाना कानूनन आवश्ययक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील संख्या 75/2002 उनवानी ग्यारसा बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 08.04.2002 को रिकॉल किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा की ओर से वादग्रस्त भूमि के 90 बी के आदेश दिनांक 07.08.2000 के विरूद्ध एक अपील संख्या 75/2000 उनवानी ग्यारसा बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य के नाम से प्रस्तुत की गई थी जो ग्यारसा द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2002 को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त अपील को विड्रो कर लिया गया जिसके आधार पर उक्त अपील फैसल शुमार होकर उसका अंतिम निर्णय हो गया और वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा धारा 90बी भू राजस्व अधिनियम के तहत किया गया आदेश दिनांक 07.08.2000 के निर्णय की पुष्टि की गई है, उब उक्त आदेश दिनांक 07.08.2000 को रिव्यू करने हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि विधि अनुसार एक बार प्रकरण का निर्णय होने के बाद धारा 11 जाब्ता दीवानी के अनुसार पुनः उसी प्रकरण के सम्बन्ध में सुनवाई किये जाने का विधि में कोई प्रावधान ही नही है, इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि के नामान्तरकरण के विरूद्ध ग्यारसा द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 08.04.2002 के विरूद्ध एक अन्य अपील संख्या 125/2006 उनवान मूलचन्द मीना बनाम भारत भवन गृह निमार्ण सहकारी समिति व अन्य के नाम प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के नामान्तरकरण आदेश दिनांक 07.08.2000 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया था जो न्यायालय श्रीमान ने अपने अदेश दिनांक 26.12.2008 के द्वारा खारिज कर दिया तथा धारा 11 जाप्त दीवानी के अनुसार एक प्रकरण का निर्णय एक बार ही होने का विधि मे प्रावधान है, परन्तु ग्यारसा की मृत्यु के बाद उसके वारिसों द्वारा उपरोक्त उनवनी अपील को विड्रो के आधार पर खारिज होने के आदेश दिनांक 08.04.2002 को

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रिकॉल करने हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण के पिता ग्यारसी लाल पुत्र कालू एवं एक अन्य लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 90बी के आदेश दिनांक 07.08.2000 के विरूद्ध अपील संख्या 75/2000 उनवानी ग्यारसा बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण प्रस्तुत की गई है तथा अपील के अपीलार्थी संख्या 2 लक्ष्मीनारायण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 03.04.2002 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण के अधिकारों की हद तक अपील को निरस्त करने किये जाने का निवेदन किया तत्पश्चात् अपील के अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 08.04.2002 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट न चलाये की वजह से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 08.04.2002 पारित किया गया है जो उचित प्रतीत होता है तथा चूँकि उक्त अपील संख्या 75/2000 के अपीलार्थीगण स्वयं के द्वारा अपनी अपील को खारिज करने के निवेदन पर आदेश दिनांक 08.04.2002 पारित किया गया है जिस आदेश को अपीलार्थी ग्यारसा के वारिसान के प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. के माध्यम से रिकॉल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। यदि प्रार्थीगण न्यायालय हाजा के उक्त आदेश दिनांक 08.04.2002 से संतुष्ट नही है तो इसके लिये प्रार्थीगण उक्त आदेश दिनांक 08.04.2002 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय चाराजोही कर अपना पक्ष सकते है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी.खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।